

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)



प्रशासन अनुभाग

सं.मानू/प्रशासन/एफ.61/V/2020-21/1130

दिनांक: 07.04.2021

परिपत्र

विषय: मानू – कोरोना वाइरस कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय – केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के टीकाकरण के संबंध में।

संदर्भ: एफ.सं.11013/9/2014-ई.ए.III-2, दिनांक.06.04.2021, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

* * *

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए उपरिनिर्दिष्ट आदेश के अनुसरण में, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को टीकाकरण अभियान में भाग लेने की सलाह दी जाती है ताकि कोविड-19 के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। इसके अतिरिक्त यह भी सलाह दी जाती है कि टीकाकरण के पश्चात भी, हाथों को बार-बार धोना / सैनिटाइजेशन करना, फेस मास्क / फेस कवर पहनना तथा सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) आदि जैसे कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करते रहना है।

[Handwritten Signature]

प्रभारी कुलसचिव

सेवा में

सभी अध्ययन संकायों के संकायाध्यक्ष/ विभागों के विभागाध्यक्ष/ केन्द्रों एवं निदेशालय के निदेशक/ प्रधानाचार्य/ प्रभारी/ केन्द्रीय पुस्तकालय एवं अनुभाग के अध्यक्ष (शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक) मुख्यालय एवं सैटलाइट कैम्पस, क्षेत्रीय केन्द्रों, उप-क्षेत्रीय केन्द्रों, संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण, कुलानुशासक एवं प्रभारी सुरक्षा, प्रोवोस्ट(बालक एवं बालिका)

प्रति:

1. कुलपति / कुलसचिव / वित्त अधिकारी कार्यालय
2. निदेशक, सीआईटी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
3. संबंधित फाइल